ायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

रण संख्या : 88 / 2020
रीख दायर : 16.12.2020

अनवान

1. मोडा पिता काना जाति गुर्जर निवासी तिरोली तहसील माण्डलगढ़।
2. रमेशचन्द्र पिता मोतीलाल जाति दरोगा निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कस्तुरी पुत्री घासी जाति धाकड़ निवासी बल्दरखा तहसील माण्डलगढ़।
2. गीता पुत्री भैरू जाति धाकड़ निवासी बल्दरखा तहसील माण्डलगढ़।
3. जमनी पुत्री भैरू जाति धाकड़ निवासी बल्दरखा तहसील माण्डलगढ़।
4. निर्मला देवी पत्नि राजुलाल जाति धाकड़ निवासी बल्दरखा तहसील माण्डलगढ़।
5. प्रेम पुत्री भैरू जाति धाकड़ निवासी बल्दरखा तहसील माण्डलगढ़।
6. फुली पत्नि खाना जाति धाकड़ निवासी बल्दरखा तहसील माण्डलगढ़।
7. बाली पुत्री घासी जाति धाकड़ निवासी बल्दरखा तहसील माण्डलगढ़।
8. भंवरलाल पिता भैरू जाति धाकड़ निवासी बल्दरखा तहसील माण्डलगढ़।
9. मांगीया पिता घासी जाति धाकड़ निवासी बल्दरखा तहसील माण्डलगढ़।
10. रूकमा पत्नि भैरू जाति धाकड़ निवासी बल्दरखा तहसील माण्डलगढ़।
11. रमेशचन्द्र पिता भैरू जाति धाकड़ निवासी बल्दरखा तहसील माण्डलगढ़।
12. सुरेश पिता भैरू जाति धाकड़ निवासी बल्दरखा तहसील माण्डलगढ़।
13. सोहनी पुत्री घासी जाति धाकड़ निवासी बल्दरखा तहसील माण्डलगढ़।
14. हीरी पुत्री भैरू जाति धाकड़ निवासी बल्दरखा तहसील माण्डलगढ़।
15. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
16. शाखा प्रबन्धक जी.एस.एस. शाखा माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
17. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री संजय चौहान (अधिवक्ता प्रार्थीगण)।

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 25.10.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि ग्राम करणपुरा पटवार हल्का होडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा की सरहद में आराजी संख्या 46 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा व 2.0072 हैक्टेयर भुमि जो कि प्रार्थीगणों की भुमि है तथा उसमें आने जाने के लिये राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 46 पर पहुचनें के लिए एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण की आराजी से निकल कर आराजी संख्या 483 / 23 बंजड़ बिलानाम काबिल काश्त भुमि की दक्षिणी मेड पर होते हुए विपक्षीगण आराजी संख्या 23 की दक्षिणी मेड पर होते हुऐ आराजी संख्या 24 बिलानाम गैर काबिल काश्त भुमि किस्म बंजड पर आम रास्ता कच्ची गडार पर निकलता है। जिसे विपक्षीगण ने रास्ते को बंद कर दिया उक्त रास्ते से प्रार्थीगण को आने जाने नहीं देते रोक टोक करते तथा मोके पर विवाद उत्पन करते है उपरोक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास कही पर भी रास्ता उपलब्ध नहीं उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण वर्षो से करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता बन्द होने से

उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

र्थीगण अपनी भुमि पर फसल काश्त करने से महरूम हो रहे है तथा उक्त रास्ते से प्रार्थीगण कि
राजीयात पर बैलगाडी, ट्रेक्टर अन्य साधन ले जाना असंभव हो रहा हैं इसलिए प्रार्थीगण की
राजी पर पहुचनें के लिए चाहा गया रास्ता 15 फीट चौडा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना
वश्यक तथा प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. से पैसा जमा कराने को तैयार है तथा दिनांक
.10.2020 को विपक्षीगणों ने रास्ता देने से इन्कार कर दिया। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि
र्थीगण कि भुमि ग्राम करणपुरा पटवार हल्का होंडा में स्थित आराजी संख्या 46 रकबा 12 बीघा
बिस्वा व 2.0072 हैक्टेयर पर पहुँचने व आने जाने संजबैल गाडी टेक्टर आदि साधन लाने ले
ने हेतु विपक्षीगणो की आराजी संख्या 483/23 की दक्षिणी मेड से आगे बढकर आराजी संख्या
की दक्षिणी मेड से आराजी संख्या 24 बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म बंजड पर निकलता
। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण कि आराजी संख्या 46 पर पहुँचने का 15 फीट चौडा रास्ता
षित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस सम्मन मय
कल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,2,3,4,5,7,11,13,14 को जरिये
जस्टर्ड डाक के नोटिस तामिल प्रेषित की गई।

दिनांक 03.09.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2021/1894
नांक 27.08.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अवगत करवाया गया कि
र्थीगण मोडा पिता काना गुर्जर निवासी तिरोली व रमेशचन्द्र पिता मोतीलाल दरोगा निवासी
ण्डलगढ की खातेदारी भूमि ग्राम करणपुरा पटवार मण्डल होड़ा की आराजी नम्बर 46 रकबा
0072 हैक्टेयर पर पहुचने हेतु अप्रार्थी की ग्राम करणपुरा आराजी नम्बर 24 बिलानाम खातेदारान
ो आराजी नम्बर 26, 27 व 28 में से 13 फीट चोडे रास्ते हेतु मांग करते हुए आवेदन किया है।
ार्थीगण की भूमि पर पहुंचने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है व अन्य कोई नजदीकी रास्ता
ुपलब्ध नहीं है। अतः उपलब्ध रास्ता लघुतम है। भूमि पर पहुंचने के लिये प्रार्थी द्वारा मांगा गया
ास्ते में बिलानाम आराजी नम्बर 24 में से 0.0162 हैक्टेयर व अप्रार्थी के खाते की भूमि आराजी
नम्बर 26 में से 0.0324 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 27 में से 0.0243 हैक्टेयर व आराजी संख्या 28
में से 0.0163 हैक्टेयर, इस प्रकार कुल रकबा 0.0892 हैक्टेयर जिसमे 0.0162 हैक्टेयर बिलानाम मे
व अप्रार्थी के 0.0730 हैक्टेयर भूमि रास्ता उपयोग में प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार कुल 0.0892
हैक्टेयर (11बिस्वा) भूमि का उपयोग प्रस्तावित रास्ता के लिये होगा जिसकी सिंचित भूमि की डी.
एल.सी दर 690679 रुपया प्रति हैक्टेयर से 61609 रुपया एवं दुगूनी से 123218 रुपया बनती है।
इस प्रकार खातेदारी के 100840 रुपया व बिलानाम के 22378 रुपया बनते है। नोट पक्षकारान को
जरिये सूचना पत्र के सूचित किया गया। प्रतिवादीगण ने उक्त रास्ता देने हेतु असहमति प्रकट
करते हुए हस्ताक्षर करने से मना किया। वादीगण ने अपने हस्ताक्षर किये। संलग्न प्रस्तावित नक्शा
ट्रेस मय मौका पर्चा व सूचना पत्र।

दिनांक 25.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प होड़ा में पेश
हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी का पेश कर निवेदन किया कि
प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में सहवन से विपक्षी संख्या 4 का नाम अंकित किया है जो गलत है, सही
नाम निर्मला देवी पत्नि राजूलाल धाकड़ है। जो एक लिपिकिय भूल है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है
कि विपक्षी संख्या 4 का नाम निर्मला पुत्री भैरू के स्थान पर संशोधित कर निर्मला पत्नि राजूलाल
धाकड़ किया जाने की कृपा करे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी
संख्या 4 का नाम निर्मला पत्नि राजूलाल धाकड़ किया जाने का आदेश दिया जाता है।

साथ ही पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076–79
दिनांक 03.09.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार
द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने का अन्य कोई
वैकल्पिक रास्ता नही है व अन्य कोई नजदीकी रास्ता उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध रास्ता लघुतम है।
प्रथम दृष्ट्या प्रकरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(।।) () के अनुसरण में ग्राम करणपुरा पटवार हल्का होड़ा की आराजी नम्बर 46 रकबा 2.0072 हैक्टेयर में पहुंचने के लिये अप्रार्थी की बिलानाम आराजी नम्बर 4 में से 0.0162 हैक्टेयर व अप्रार्थी के खाते की भूमि आराजी नम्बर 26 में से 0.0324 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 27 में से 0.0243 हैक्टेयर व आराजी संख्या 28 में से 0.0163 हैक्टेयर कुल 0.0892 क्टेयर जिसमें से 0.0162 हैक्टेयर बिलानाम से व अप्रार्थी के खाते से 0.0730 हैक्टेयर भूमि की क्षिणी मेर पर 15 फीट रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 690679 रुपया प्रति हैक्टेयर से 1609 रुपया, एवं दुगूनी से 123218 रुपया जिसमें से खातेदारी के 100840 रूप्या एवं बिलानाम 22378 रुपया प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये ाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता र्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार ाण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 25.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में ुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner